



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हत्या का प्रयास व छेड़छाड़ की घटना कारित करने वाले आरोपी कपिल को हुई आजीवन कठोर कारावास व 27,000 रुपये अर्थदण्ड तथा आरोपी नीरज को हुई 10 वर्ष के कठोर कारावास व 27,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2019 में अभियुक्तों 1-कपिल पुत्र ओम सिंह निवासी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली व 2-नीरज पुत्र महक सिंह निवासी बुढ़पुर थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा हत्या के प्रयास व छेड़छाड़ की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 23/19 धारा 452/307/376/511/506 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 20.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल एससी एसटी एक्ट जनपद बागपत द्वारा दोषी पाते हुए अभियुक्त कपिल को हुआ आजीवन कठोर कारावास व 27,000 रुपये अर्थदण्ड तथा आरोपी नीरज को हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास व 27,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी नरेन्द्र उर्फ काला को हुई 03 वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि वर्ष-2004 में अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ काला निवासी टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत के विरुद्ध थाना दोघट पर मु0अ0सं0- 73/2004 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 20.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी 01 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ काला को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास व 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 20.05.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 0440/2024 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से आलाकत्ल एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.05.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर हारुण पुत्र मुस्तूफा निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत ने लिखित तहरीर दी कि उसके बेटे अभियुक्त सादिक ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी है । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 0440/2024 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 0440/2024 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से आलाकत्ल एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सादिक पुत्र हारुण निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण--

- आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 808/2020 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2- मु0अ0सं0 631/2023 धारा 380/457 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3- मु0अ0सं0 690/2023 धारा 380/457/511 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4- मु0अ0सं0 988/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5- मु0अ0सं0 054/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 20.05.2024

ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 154/2024 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता को किया सकुशल बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 154/2024 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0यूटी सिद्धार्थ सक्सैना थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-महिला उ0नि0यूटी पारूल वर्मा थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक-20.05.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो स्प्लेंडर प्लस नं0 DL-14SJ-6665 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो स्प्लेंडर नं0 DL-14SJ-6665 बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 358/24 धारा 411/414 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता:-

- 1-सैंकी पुत्र किशनपाल निवासी कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-सुशील पुत्र किशनपाल निवासी हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-सागर पुत्र जोगिन्द्र निवासी कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक मो0सा0 हीरो स्प्लेंडर प्लस नम्बर DL-14SJ-6665 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 011664/24 धारा 379 भादवि दिल्ली क्राईम ब्रान्च)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री मंयकप्रताप सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 216 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 351 पवन नागर थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-का0 814 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।